प्रेस विज्ञप्ति

भविष्य निधि के निपटान में तेजी

क.भ.नि.सं. द्वारा जुलाई में 11.56 लाख दावों का निपटान

ऑस्ट्रिया एवं कनाडा के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौता प्रभावी हुआ

नई दिल्ली 07.08.2015 : जुलाई माह में, क.भ.नि.सं. के अंतर्गत भविष्य निधि, पेंशन एवं बीमा दावों के निपटान की समय-सीमा को संशोधित कर 30 दिन से 20 दिन कर दिया गया । इसके परिणामस्वरूप, अब दावाकर्त्ताओं को त्वरित सेवा उपलब्ध होगी । इस संबंध में क.भ.नि.सं. के निष्पादन का जायज़ा लेते हुए, श्री के.के.जालान, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने कहा कि संगठन ने जुलाई माह में 11.56 लाख दावों का निपटान किया तथा इसमें से 43% को 3 दिन के भीतर, 83% को 10 दिन के भीतर तथा 97% को 20 दिन के भीतर निपटाए गए । इस प्रकार क.भ.नि.सं. नई कठोर समय-सीमा का पालन करने के लिए पहले से ही तैयार है । साथ ही, पेंशनभोक्ताओं को त्वरित लाभ प्रदान करने के लिए, फील्ड कार्यालयों को वितरण बैंकों के साथ बेहतर संपर्क स्थापित करने हेतु अनुदेश जारी किए गए हैं ।

प्राप्त शिकायतों को उच्च प्राथमिकता दी गई है तथा संगठन ने देशभर के सभी फील्ड कार्यालयों में 19,016 शिकायतों का निपटान किया तथा केवल 3068 शिकायतें लंबित हैं । यह उल्लेखनीय है कि इसमें से 84% 15 दिन से भी कम समय से लंबित हैं ।

जुलाई माह में क.भ.नि.सं. ने एक राष्ट्रव्यापी आउटरीच कार्यक्रम **"निधि आपके निकट"** आंरभ किया । यह औपचारिक रूप से 10 जुलाई को दिल्ली में श्री बंडारू दत्तत्रेय, माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री द्वारा आंरभ किया गया था । संगठन के सभी कार्यालयों में एक साथ कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनकी अध्यक्षता प्रभारी अधिकारी द्वारा की गई । यह कार्यक्रम क.भ.नि.सं. की ओर से एक नई पहल है जिसकी पहुंच अधिक विस्तृत है तथा अपने स्टेकहोल्डरों द्वारा विस्तृत भागीदारी को प्रोत्साहित करता है । 1300 से अधिक नियोक्ताओं तथा 1470 कर्मचारियों ने प्रथम **"निधि आपके निकट"** कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया ।

चूंकि इक्विटी बाजार में निवेश करने का निर्णय लिया गया था, निवेश के भेदों को समझने के लिए बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एसोचैम आदि के साथ बैठकें आयोजित की गईं । भारत सरकार के डिजिटल सप्ताह समारोहों का अनुसरण करते हुए, क.भ.नि.सं. ने अपनी प्रयोक्ता (यूज़र) हितैषी वेबसाइट का अनावरण किया । संयोग से, माह के दौरान क.भ.नि.सं. को इसके द्वारा लिए गए विभिन्न सूचना तकनीक आधारित पहल को सम्मानित करते हुए एन.डी.टी.वी. - सी.आई.एस.सी.ओ. द्वारा स्मार्ट ई-गर्वनेंस पहल पुरस्कार प्रदान किया गया ।

भारत एवं आस्ट्रिया तथा भारत एवं कनाड़ा के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौते लागू हुए हैं । इन समझौतों से भारतीय नागरिकों एवं इन दो देशों के नागरिकों को मेजबान देश में कार्य करते समय सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने में सहायता मिलेगी ।

निधि प्रबंधन की दक्षता को बढ़ाने के लिए, क.भ.नि.सं. के प्रशासनिक लेखों के लिए नई निधि प्रबंधन प्रणाली (NFMS) को लागू किया गया है । इसी के अंतर्गत, चूंकि निवेश लेखे में निधि अंतरण के लिए ऑटो स्वीप की सुविधा का प्रयोग किया जाता है, निधि को प्रशासनिक लेखे में अप्रयुक्त (अनिवेशित) पड़े रहने से बचा जा सकेगा ।

अंशदाताओं द्वारा समय से पूर्व निधि की निकासी करने की प्रवृति भी कार्य जीवन के अंत में बहुत कम राशि बचने का कारण बनती है, को समाप्त करने के उद्देश्य से, जिससे सामाजिक सुरक्षा आवरण, जैसे कि भविष्य निधि, के मूल उद्देश्य की हानि होती है, सरकार के पास इस पर रोक लगाने हेतु एक प्रस्ताव भेजा गया है ।